न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 238 / 2025
अन्तर्गत धारा 251 क RT Act

प्रार्थी :– 1. केसराराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी शेरपुरा, लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:– 1. दुर्गाराम पुत्र नारणाराम 2. जगमालराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी शेरपुरा, लीलसर तहसील चौहटन 3. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक सनावड़ा 4. आसूराम पुत्र ईषराराम 5. खींयाराम पुत्र अर्जनराम 6. मीरोंदेवी पत्नी अर्जनराम 7. विषनाराम पुत्र अर्जनराम 8. हरखूदेवी पुत्री ईशराराम जाति जाट निवासी शेरपुरा, लीलसर तहसील चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री रामजीवन विश्नोई
वकील विप्रार्थीगण :– श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा शेरपुरा, पटवार हल्का लीलसर, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 433 / 267 रकबा 2.4605 हैक्टेयर बारानी सोयम का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा तथा अपने रहवासी घर, टांके आदि बने हुए है।

प्रार्थी के जोत व रहवासी ढाणी पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत मौजा शेरपुरा, पटवार हल्का लीलसर तहसील चौहटन में खसरा संख्या 351 / 267, 355 / 267, 439 / 266 रकबा कमशः 10.4652, 8.1827, 2.8895 हैक्टेयर मे से होकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्त है। विप्रार्थीगण के नाम उक्त खेत हमारा पुस्तैनी खेत है जिसका पूर्व में बंटवाड़ा किया गया परन्तु भूलवंश रास्ता नही किया गया। प्रार्थी की ढाणी तक आने जाने हेतु कदीम रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थी कई सालो से करता आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी को अपनी खातेदारी खेत मौजा शेरपुरा, पटवार हल्का लीलसर, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 433/267 रकबा 2.4605 हैक्टेयर बारानी सोयम में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के मौजा शेरपुरा में खसरा संख्या 351/267, 355/267, 439/266 रकबा क्रमशः 10.4652, 8.1827, 2.8895 हैक्टेयर में रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 20 फीट परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है जिसके लिए यह संशोधित राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व आवेदन में विप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा द्वारा वकालतनामा व जवाब एवं प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार चौहटन के पत्रांक भू.अ./2025/327 दिनांक 10.02.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवेदन पत्र में विप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 से 8 की ओर अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह व राज पेरोकार उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। विप्रार्थीगण आपसी सहमति से प्रार्थी को आने जाने हेतु रास्ता की भूमि बिना किसी शर्त के देना चाहते है।

विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थी के संशोधित आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया **प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा शेरपुरा में खसरा संख्या 433/267 में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 355/267, 351/267 व 439/266 मे से नया मार्ग खोलने की सहमति देते हुए उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि में कोई प्रतिफल राशि नही लेना चाहते है। रास्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार देने हेतु सहमति जाहिर की गई। दौराने बहस पुनः निवेदन किया कि प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट नही मंगवाते हुए परिशिष्ट "अ" अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु हम सहमत है।**

प्रकरण में प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1, 2, 4 से 8 के अधिवक्ता एवं राज पेरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात, परिशिष्ट "अ" का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट "अ" बरंग लाल

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अनुसार जो रास्ता चाहा गया है जिस पर विप्रार्थीगण सहमत है तथा उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि में कोई प्रतिफल राशि नही लेना चाहते है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	विप्रार्थी खातेदार
1	2	3	4	5		7	8
1	351/267 355/267 439/266	10.4652 8.1827 2.8895	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	20 फीट	0.2211 हैक्टे. 0.1506 हैक्टे. 0.1260 हैक्टे.	शेरपुरा (लीलसर)	विप्रार्थी सं. 1, 2, 4 से 8

प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" अनुसार प्रार्थी को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है। अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

अतः प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि/ प्रतिफल राशि विप्रार्थीगण नही लेने से प्रार्थीगण द्वारा राशि देय नही होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य नही होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" बरंग लाल अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। परिशिष्ट "अ" बरंग लाल निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

2. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
3. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
4. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा खातेदारी में से संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ता अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवेदन पत्र के सलंग्न परिशिष्ट "अ" बरंग लाल अनुसार दिए जाने का आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन